न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 56 / 2020

प्रार्थी

1 वचनाराम पुत्र जेठाराम
2 रूपाराम पुत्र जेठाराम जाति पुरोहित, निवासी पऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. अमराराम पुत्र सावलीया
3. कोलाराम पुत्र सावलीया
4. चेताराम पुत्र सावलीया
5. मांगाराम पुत्र सावलीया
6. स्व.दीपसिंह पुत्र मोमताराम के वारीसान
   6/1 दीपसिंह पुत्र रिडमलसिंह
   6/2 लक्ष्मणसिंह पुत्र रिडमलराम

जाति पुरोहित निवासी पंऊ तहसील सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री कैलाशपुरी प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री गौतमसिंह विप्रार्थी अधिवक्ता 2 ता 6/2

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 22.02.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन कि विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 443/66 व खसरा नम्बर 442/66 भूमि की पैमाईश करवाई जाकर बाद पैमाईश मौके पर पत्थर गढी कायम की जावे। विप्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम को प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने स्वीकार करते हुए आदेश पारित करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा पंऊ तहसील सिवाना के खेत [illegible] नम्बर 445/65 रकबा 03.5127 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 446/65 रकबा [illegible]8328 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 443/66 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

04.5082 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 442/66 रकबा 02.2339 हैक्टेयर भूमि की भूमि की पैमाईस करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विप्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विप्रार्थीगण के काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा पऊ के खसरा नम्बर 445/65 रकबा 03.5127 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 446/65 रकबा 02.8328 हैक्टैयर विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 443/66 रकबा 04.5280 हैक्टेयर व खसरा नम्ब्र 442/66 रकबा 02.2339 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:44
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद/2021/5814 | दिनांक : 25.02.2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
वचनाराम वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 56/2020 | निर्णय दिनांक :– 22.02.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम......पऊ......के खेत खसरा नम्बर...445/65 रकबा 03.5127 हैक्टेयर, व 446/65 रकबा 02.8328 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 443/66 रकबा 04.5082 हैक्टेयर, व 442/66 रकबा 02.2339 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार.... सिवाना....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद/2021/5815–19 | दिनांक : 25.02.2021

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार ....सिवाना............
2. थानाधिकारी.....सिवाना...............
3. हल्का पटवारी..पऊ.................. को मय रेकर्ड [illegible] जाकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी ....वचनाराम वगैरा................
5. विप्रार्थी ..अमराराम वगैरा.......................

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)